# न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

## पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ ( R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 211/2022 प्रार्थना पत्र
GCMS No. – 2022/649

1. दिव्यांश पुत्र बाबुलाल आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती संगीता पत्नी बाबुलाल जाति गुर्जर आयु 33 वर्ष निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. दिपेश पुत्र बाबुलाल आयु 6 वर्ष नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती संगीता पत्नी बाबुलाल जाति गुर्जर आयु 33 वर्ष निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती संगीता पत्नी बाबुलाल जाति गुर्जर आयु 33 वर्ष निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

–प्रार्थीगण

//बनाम//

1. नाथुलाल पुत्र रामबक्श जाति गुर्जर आयु 58 वर्ष निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
2. बाबुलाल पुत्र नाथुलाल जाति गुर्जर आयु 38 वर्ष निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
3. उपपंजीयक निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

-विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955**

उपस्थितिः– 1. श्री अनुराग ओझा – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मदनलाल चपलोत – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

**::निर्णय::** **दिनांकः– 10.08.2023**

**1.** प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 414 की आराजी नम्बर 878 रकबा 0.3000 हैक्टेयर लगानी 12 रूपये 60 पैसे स्थित हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 299 की आराजी नम्बर 3083 मीन रकबा 0.6900 हैक्टेयर लगानी 6 रुपये 56 पैसा स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 792 की आराजी नम्बर 3071 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 400 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 403 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 404 रकबा 1.2000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 407 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, आराजी [illegible] रकबा 0.5800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 423 मीन रकबा 0.7500 हैक्टेयर, आराजी [illegible] रकबा 0.1500 हैक्टेयर, कुल किता– 8 कुल रकबा 4.4000 हैक्टेयर कुल लगानी 10[illegible] रुपये 53 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 674 की आराजी नम्बर 3751/427 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी [illegible] 409 रकबा 1.5000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 412 रकबा 0.4[illegible] हैक्टेयर, आराजी नम्बर [illegible] रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 416 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 421 मीन रकबा 1.4400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 422 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 427 मीन रकबा 1.4500 हैक्टेयर, कुल किता– 8 कुल रकबा 5.2700 हैक्टेयर कुल लगानी 181 रुपये 60 पैसा स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम मांगरोल की आराजियात प्रार्थी नम्बर 1 व 2 की पुश्तैनी पैतृक होने से खाता संख्या 414 की कृषि भूमि में विपक्षी नम्बर 1 नाथुलालजी का 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसमें से 1/6 हिस्सा विपक्षी नम्बर 2 बाबुलाल जी का बनता है उक्त 1/6 हिस्से में से 1/18–1/18 प्रार्थी नम्बर 1 व 2 का तथा शेष 1/18 विपक्षी नम्बर 2 का बनता हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 792 की कृषि भूमि में भी विपक्षी नम्बर 1 नाथुलालजी का 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसमें से 1/6 हिस्सा विपक्षी नम्बर 2 बाबुलाल जी का बनता है उक्त 1/6 हिस्से में से 1/18–1/18 प्रार्थी नम्बर 1 व 2 का तथा शेष 1/18 विपक्षी नम्बर 2 का बनता हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 674 की कृषि भूमि में भी विपक्षी नम्बर 1 नाथुलालजी का 1/9 हिस्सा दर्ज हैं जिसमें से 1/18 हिस्सा विपक्षी नम्बर 2 बाबुलाल जी का बनता है उक्त 1/18 हिस्से में से 1/54–1/54 प्रार्थी नम्बर 1 व 2 का तथा शेष 1/54 विपक्षी नम्बर 2 का बनता हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 299 की कृषि भूमि में भी विपक्षी नम्बर 1 नाथुलाल जी के नाम दर्ज है जिसमें से 1/2 हिस्सा विपक्षी नम्बर 2 बाबुलाल जी का बनता है उक्त 1/2 हिस्से में से 1/6–1/6 प्रार्थी नम्बर 1 व 2 का तथा शेष 1/6 विपक्षी नम्बर 2 का बनता हैं। चूंकि उक्त समस्त कृषि भूमियों में केवल नाथुलालजी के हिस्से के संबंध में ही घोषणात्मक अनुतोष प्रार्थीगणो द्वारा चाहा गया है जिस कारण अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं।

**3.** प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मूल पुरुष राजु जी गुर्जर थे, मूल पुरुष राजुजी के एक पुत्र रामबक्ष हुआ, रामबक्ष की मृत्यु हो चुकी है जिनके तीन पुत्र उदयलाल, श्रीलाल व नाथुलाल हुवे नाथुलाल के पुत्र बाबुलाल हुआ तथा बाबुलाल के दो पुत्र दिव्यांश एवं दिपेश हुवे। उपरोक्त कृषि भूमि नाथुलालजी को विरासत मे प्राप्त हुई है जो प्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 का जन्म से अधिकार निहित हैं, परन्तु प्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 के पिता बाबुलालजी शराब के नशे के आदी है और अपनी इस लत के चलते इस लत को पूरी करने के लिए आये दिन लोगों से उधार पैसे लेते रहते हैं, एवं बाबुलालजी के पिता नाथुलालजी उस उधारी को चुकता करने हेतु समस्त वादग्रस्त भूमि को रहन बय बक्शीश से हस्तांतरित करने पर आमदा हो रहे है जबकि प्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 नाबालिग है एवं इस कृषि भूमि के अतिरिक्त उनके लालन पालन व आय का अन्य कोई स्त्रौत नही हैं, प्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 की माता संगीता बमुश्किल उक्त कृषि आराजियात पर कृषि का कार्य कर अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं, परन्तु विपक्षी नम्बर 1 जो अपने पुत्र बाबुलाल की आवश्यकताओं की पूर्ती एवं उसकी गलत संगत को बढावा देने हेतु धीरे धीरे समस्त कृषि भूमियों को बय करने पर आमादा हो रहा है समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहा हैं एवं जब प्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 की माता ने कृषि भूमियों को बय करने से अपने ससुर को रोका एवं विपक्षी नम्बर 2 बाबुलाल को उनकी लत के लिए पैसे नहीं देने का निवेदन किया तो विपक्षी नम्बर 1 आग बबूला हो गया समस्त कृषि भूमियों को बय करने की एलानिया धमकियां दी एवं प्रार्थीगणों को घर से निकल जाने की भी धमकिया दी एवं विपक्षी नम्बर 2 ने उक्त तथ्य की जानकारी होने पर प्रार्थीगणों के साथ अनावश्यक विवाद किया, समझाने बुझाने पर भी प्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 के हक हिस्से से उन्हें महरूम करने की एलानिया धमकियां दी जिससे मजबुर होकर प्रार्थीगणों को अपनी माता की सरपरस्ती में उक्त वाद घौषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत आप न्यायालय में पेश करना पड़ रहा हैं उक्त वाद केवल नाथुलालजी के हिस्सो में से घौषणा के संदर्भ में होने से अन्य सहखातेदारान को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:35 IST
Reason: SelfAttested

**4.** प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की [illegible] के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराई जावें कि प्रार्थना पत्र [illegible] 2 में वर्णित कृषि भूमि से प्रार्थीगणों को उनके बनने वाले हिस्से [illegible] बेदखल [illegible] करे न ही किसी अन्य से करावें एवं हल बैलगाडी इत्यादि लाने [illegible] बाधा पैदा नहीं करें न किसी अन्य से करावें, वाद ग्रस्त आराजियात [illegible] बय बक्शीश के माध्यम से विक्रय हस्तांतरण नहीं करे न करावें। मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और अपने जवाब प्रार्थना में अंकित किया कि –

**I.** प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 इस सीमा तक स्वीकार है की प्रार्थीगण जो दावा पेश किया जो तथ्यों को छुपा कर गलत दावा पेश किया जो अवश्य ही खारीज होगा।

**II.** प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 मौजा मांगरोल की आराजी होना स्वीकार है।

**III.** प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 का उत्तर यह है कि नाथूलाल पिता रामबक्षजी है और रामबक्ष जी के तीन लड़के उदयलाल, श्रीलाल व नाथूलाल है, तथा उनके दो लडकीयां बगदीबाई व कलां बाई है जो पैतृक सम्पत्ति की हकदार है तथा नाथूलाल जी विपक्षी संख्या 1 के एक लड़का बाबूलाल व तीन लडकियां लाली बाई, माया, और संगीता है जो वैधानिक रूप से वारिस है, और उनका कानूनन रूप से हक व हिस्सा है। इस चरण में प्रार्थीगण द्वारा गलत हिस्सा दर्ज किया गया है।

**IV.** प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में गलत तथ्य अंकित किये है जो शजरा बनाया वो गलत है, वास्तविक शजरा इस प्रकार है:–

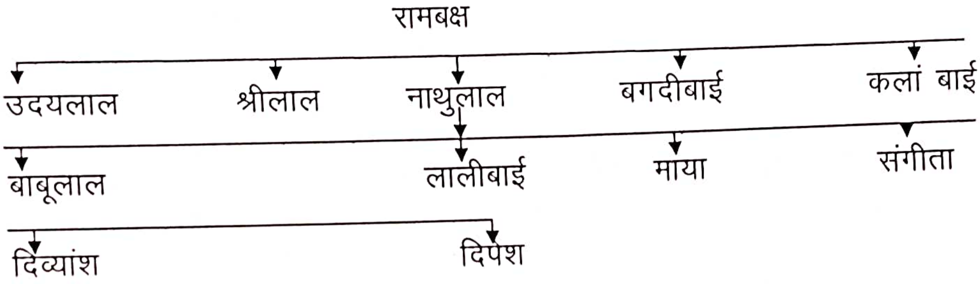


इस प्रकार प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है और गलत हिस्सा दर्ज किया है।

**V.** प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 पूर्णतया असत्य है अस्वीकार है। विपक्षीगण ने अपनी आराजी को सुधार कराने के लिये खेत पर दो ट्युबवेल खुदवाई तथा कनेक्शन लिया तथा पाईप लाईन डाली व जमीन को सुधार किया, ट्रेक्टर लिया व पशुओ के लिये नोहरा बनाया व बन रहा है, इस कारण कर्जा हो गया, इस वैध कर्जे को चुकाने के लिये दिनांक 07.11.2022 को परिवार की सहमति से परिवार की वैध अवश्यकताओं के लिये ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 414 के खसरा नम्बर 878 रकबा 0.3000 हैक्टेयर यानी 30 आरी भूमि व खाता नम्बर 792 आराजी नम्बर 879 रकबा 0.1500 हैक्टेयर बीड़ जो आराजी संख्या 879 रकबा 0.1500 हैक्टेयर का 1/3 हिस्सा जिसमें हम प्रार्थीगण का 0.0250 हैक्टेयर भूमि यानी 25/150 वां हिस्सा है उक्त भूमि 1,65,000/– रूपये में भूली बाई पत्नी पृथ्वीराज गुर्जर निवासी मांगरोल को विक्रय कर कब्जा सोंप दिया, इसी प्रकार खाता संख्या 414 की खसरा नम्बर 878 रकबा 0.3000 हैक्टेयर व खाता संख्या 792 की खसरा नम्बर 879 रकबा 0.1500 हैक्टेयर में से 25 /150 वां हिस्सा श्रीमती सुनिता गुर्जर पत्नी लोकेश जी गुर्जर निवासी मांगरोल को 1,65,000/– रूपये नकद लेकर विधिवत पंजियन करा कर कब्जा सोंप दिया है, और नामांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कुछ असामाजिक तत्वों ने मिल कर प्रार्थीगणों से मिल कर झुठा दावा प्रार्थना पत्र व दावा पेश कराया, उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:35 IST
Reason: SelfAttested

**VI.** प्रार्थना पत्र की कलम नं0 6 गलत है, प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है, बल्की विपक्षीगणों को अपूर्णीय क्षति हो रही है, [illegible] विक्रय पत्र निष्पादित होने के बाद गलत दावा पेश किया जिससे [illegible] हो रही है। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा विशेष कथन अंकित किया है।

प्रार्थीगण द्वारा दावा व प्रार्थना पत्र विक्रय के पश्चात् पेश किया गया इसलिये उक्त विक्रय शुदा आराजी पर स्थगन खारीज किया जावे क्योंकि विक्रय दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही हो चुका है, इसलिए जब तक प्रार्थीगण सिविल न्यायालय में जाकर रजिस्ट्री कैंसल नहीं कराये तब तक यह दावा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

सहायक कलक्टर

➤ विपक्षीगण खातेदार है और जब दादा जिन्दा है तब तक पोते को घोषणा व बंटवारा कराने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा पारिवारिक वैध आवश्यकताओ की पूर्ती के लिये विपक्षी को बेचने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दावे व प्रार्थना पत्र में जो आवश्यक पक्षकार बगदीबाई, कलां बाई, लाली बाई, माया व संगीता है उन्हें पक्षकार नहीं बनाया, आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा ही चलने योग्य नहीं है तो प्रार्थना पत्र चलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। दावा करने से पूर्व ही आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्रीमती भूली बाई पत्नी पृथ्वीराज जी गुर्जर निवासी मांगरोल व सुनिता पत्नी लोकेश जी गुर्जर को विक्रय कर कब्जा दे दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को थी, जान बुझ कर उन्हें पार्टी नहीं बनाया, आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थीगण का दावा व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाते हुऐ स्थगन आदेश को खारीज फरमाया जावें।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण द्वारा दावा व प्रार्थना पत्र विक्रय के पश्चात पेश किया है इसलिये उक्त विक्रय शुदा आराजी पर स्थगन खारिज किया जावें क्योंकि विक्रय दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही हो चुका है, जब तक प्रार्थीगण सिविल न्यायालय में जाकर रजिस्ट्री कैंसल नहीं करावें तब तक यह दावा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण ने दावे व प्रार्थना पत्र में जो आवश्यक पक्षकार है उन्हे पक्षकार नहीं बनाया, आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा ही चलने योग्य नहीं है तो प्रार्थना पत्र चलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया।

7. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **प्रथम दृष्टया मामला**– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि नाथुलालजी को विरासत में प्राप्त हुई है जो प्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी नम्बर 1 व 2 का जन्म से अधिकार निहित है। हिन्दु उत्ताराधिकार के अनुसार पुत्रों को भी पिता की पैतृक सम्पत्ति में बराबर हक हिस्सा है। चूंकि यह निर्णय मूल वाद में साक्ष्य, गवाह से गुणावगुण के आधार पर तय होना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होने एवं प्रार्थी नम्बर 1 व 2 के दादा एवं पिता से प्रार्थी नम्बर 1 व 2 के हिस्से को सुरक्षित रखा जाना न्याय हित में आवश्यक है। क्योंकि प्रार्थी नम्बर 1 के दादा द्वारा उक्त भूमि का बेचान करने के बाद वाद की बहुलता बढ़ेगी जिसे न्याय हित में रोका जाना आवश्यक है।

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई नि[illegible] प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है [illegible] प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात में अपना हक हिस्सा सुरक्षित रखने का अधिकार है। [illegible] वादग्रस्त आराजियात का बेचान होने के बाद वाद की बहुलता बढ़ने से [illegible] पक्षकारों के आने से विवाद बढेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी नम्बर 1 व 2 के बनने वाले हिस्से को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

**III.** **सुविधा का संतुलन :–** किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने के लिए विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

**8.** हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी नम्बर 1 व 2 का जन्म से ही अधिकार निहित है जिसे विपक्षीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के जवाब में स्वीकार किया है। प्रार्थी नम्बर 1 व 2 ने मूल वाद में अपने हिस्से की घोषणा चाही गई है। प्रार्थी नम्बर 1 व 2 की घोषणा से पहले विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात का बेचान किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। हक हकूक का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य एवं गवाही के उपरान्त ही हो सकेगा, तब तक विवादित भूमि में प्रार्थी नम्बर 1 व 2 के बनने वाले हिस्से को मूल वाद के निर्णय तक सुरक्षित रखाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से अनावश्यक वाद बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है। पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विपक्षीगणों को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## –:आदेश:–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है । विपक्षी संख्या 1 व 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 414 की आराजी नम्बर 878 रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 299 की आराजी नम्बर 3083 मीन रकबा 0.6900 हैक्टेयर, खाता संख्या 792 की आराजी नम्बर 3071 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 400 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 403 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 404 रकबा 1.2000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 407 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 408 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 423 मीन रकबा 0.7500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 879 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, कुल किता–8 कुल रकबा 4.4000 हैक्टेयर भूमि, इसी प्रकार खाता संख्या 674 की आराजी नम्बर 3751/427 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 409 रकबा 1.5000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 412 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 413 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 416 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 421 मीन रकबा 1.4400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 422 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 427 मीन रकबा 1.4500 हैक्टेयर, कुल किता– 8 कुल कुल रकबा 5.2700 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 श्री नाथुलाल पिता रामबक्ष के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से को खुर्द बुर्द, रहन बय बक्शीश के माध्यम से किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करे न किसी अन्य से करावें एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2023 को लिखाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (राज.) निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:35 IST
Reason: SelfAttested

10/8/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा